ग्राम पंचायत भंगवार, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 प्रस्तावनाः—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भंगवार, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती सत्या देवी	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती शीला देवी	23.1.2016 से 31.3.2017

सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री नरेश कुमार	1.4.2014 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत भंगवार, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से समाधान न करने के कारण अन्तर	0.15
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	—
3	7.1	हस्तगत राशि कम दर्शाना	0.01

4	7.2	प्रविष्टि न दर्शाने के बारे	0.04
5	7.3	स्वयं स्त्रोतों से प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करवाना	0.15
6	8	पंचायत राजस्व की शेष वसूली	0.39
7	9	अंकेक्षण में वाउचर प्रस्तुत न करना	0.27
8	11	अनुदान राशियों का अवरोधन	6.33
9	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.05

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत भंगवार, विकास खण्ड कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27.9.2017 से 4.10.17 तक ग्राम पंचायत भंगवार के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 09/2014, 08/2015, 07/2016 व 02/2015, 09/2015, 05/2016 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत भंगवार, विकास खण्ड कॉंगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5800 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 36 दिनांक 4.10.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भंगवार से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत भंगवार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः—

4.1 स्वः स्त्रोत व अनुदानः—

ग्राम पंचायत भंगवार के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट 1 व 2** में भी दिया गया है।

(i) स्वः स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	226367	25626	251993	36695	215298
2015—16	215298	81187	296485	59913	236572
2016—17	236572	120577	357149	61222	295927

(ii) अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	95216	2961807	3057023	2821387	235636
2015—16	235636	5358112	5593748	5103919	489829
2016—17	489829	3673096	4162925	3529565	633360
			कुल योग (i+ii)		₹929287

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरणः—

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	अनुदान	जमा राशि
1	हिमाचल ग्रामीण बैंक	87700100071883	I.A.Y.	493
2	हिमाचल ग्रामीण बैंक	87700100071908	T.S.C.	104
3	हिमाचल ग्रामीण बैंक	87700100040616	V.K.V.N.Y.	1007.80
4	हिमाचल ग्रामीण बैंक	87700100071829	13th Fin (ZP)	317048.20
5	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक	20033040220	General	625597.00
6	हिमाचल ग्रामीण बैंक	87700100057069	Water shed	7.00
7	हस्तगत राशि			18.00
			कुल योग	**₹944275**

अन्तर= ₹944275(—) ₹929287

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पास बुक में दिनांक 31.3.2017 को ₹14988 का अन्तर था जिसके कारणों का पता लगाया जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.15 लाख का अन्तरः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भंगवार द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹14988 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनपाुलना न करनाः—

6.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः—

(क) रोकड़ बही के अवलोकन से पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान करना अनिवार्य था। इस प्रकार पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों में विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत भंगवार द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के दौरान बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी और न ही अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई। अतः उक्त अवधि की बैंक समाधान विवरणी तैयार करके इसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट,

लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत भंगवार में रोकड़ बही के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप—8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग आय व दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग—2 प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाये जाने का मुख्य उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत भंगवार द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकडों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ में आय—व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

6.4 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः—

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	माह	राशि
1	07/2014	3702
2	03/2015	3378
3	11/2015	1662
4	08/2016	4001

7 कम वसूली बारेः–

7.1 हस्तगत ₹1131 कम दर्शानाः–

ग्राम पंचायत भंगवार की रोकड़ बही की जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि हस्तगत के रूप में ₹1131 कम दर्शाई गई थीः–

क्र0सं0	दिनांक	रोकड़ बही पृ0सं0	दर्शाई गई हस्तगत राशि	वास्तव में हस्तगत ली जाने वाली राशि	अन्तर
1	26.10.14	20	966	1021	55
2	27.2.16	64	12	86	74
3	28.5.16	02	0	02	02
4	16.12.16	24	29	1029	1000
				कुल योग	**₹1131**

अतः उपरोक्त विवरणानुसार कम दर्शाई गई ₹1131 की जाँच सुनिश्चित की जाये तथा कम दर्शाई गई हस्तगत राशि की उत्तरदायी से वसूली उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाये व तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.2 निकाली गई ₹4300 की रोकड़ बही में प्रविष्टि न दर्शाने बारेः–

पंचायत द्वारा प्रस्तुत रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के मिलानोपरान्त पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान चैकों से राशि की निकासी की गई है परन्तु निकाली गई राशि की रोकड़ बही में व्यय के विरूद्ध कहीं भी प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	खाता सं0	चैक सं0	दिनांक	राशि	टिप्पणी
1	40616	55242	30.5.15	800	
2	40220	419296	16.12.16	8000	चैक संख्या 419296 द्वारा निकाली गई ₹8000 में से 7000 का खर्चा वाउचर संख्या 49 द्वारा दर्शाया गया है। अतः ₹1000 (8000–7000) को ही शेष में लिया गया है
3	40220	63472	28.3.17	2500	
			कुल योग	**₹4300**	

अतः उपरोक्त विवरणानुसार निकाली गई ₹4300 को रोकड़ बही में न दर्शाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा निकाली गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

G.P. Bhanvaar

7.3 स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय ₹0.15 लाख को बैंक में जमा न करवाने बारेः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत आय रसीदों की जाँच के उपरान्त पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न रसीदों द्वारा गृहकर की वसूली की गई है परन्तु वसूली गई गृह कर की राशि को बैंक में जमा नहीं करवाया गया है।

क्र0सं0	रसीद संख्या	गृहकर की दर	वसूल की गई राशि
1	62801–62900	50 / रसीद	5000
2	63202–63300	50 / रसीद	5000
3	63301–63400	50 / रसीद	5000
		कुल योग	**₹15000**

अतः उक्त राशि का संदिग्ध दुर्विनियोजन प्रतीत होता है जिस बारे उचित विभागीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उचित कार्यवाही की जाए।

8 पंचायत राजस्व की ₹0.39 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत भंगवार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व की ₹38590 वसूली हेतु शेष थी।

दुकानों का किरायाः– ग्राम पंचायत भंगवार की दुकानों से किराये से ₹38590 दिनांक 31.3.2017 तक वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	दुकानों की सं0	किराये की दर	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	2	75 / मासिक	33190	1800	34990	–	34990
2015–16	2	75 / मासिक	34990	1800	36790	–	36790
2016–17	2	75 / मासिक	36790	1800	38590	–	38590

9 ₹0.27 लाख के व्यय वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत भंगवार द्वारा अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार वाउचर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

क्र0सं0	दिनांक	वा0सं0	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि
1	25.5.16	–	61	7310

2	25.5.16	09	62	15800
3	27.5.16	18	63	3599
			कुल योग	**26709**

अतः उपरोक्त ₹26709 के वाउचरों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 बजट प्राक्क्लन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

11 अनुदान की ₹6.33 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹633360 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.05 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए

विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹204956 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदाओं द्वारा किया गया है परन्तु नियमानुसार निविदा सम्बन्धी अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई है जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करना व उपयोग लेखा तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया जा रहा था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1) स्टॉक रजिस्टर

2) चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर

3) जल प्रभार रजिस्टर

4) भवनों व दुकानों के किराये से सम्बन्धित रजिस्टर

5) अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर

6) अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

7) गृहकर वसूली रजिस्टर

8) डाक–टिकट रजिस्टर

9) निर्माण कार्यों का रजिस्टर

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, जबट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का रजिस्टरों में इन्द्राज किया गया है और न ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा

इस सन्दर्भ में आपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविध अनियमितताऐंः–

15.1 ग्राम पंचायत कोहाला द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत भंगवार द्वारा नहीं की जा रही है।

15.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर बिक्रीकर लेबर सैस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

15.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत भंगवार में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित वाउचर बिलों की जाँच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्षः– लेखों के रख–रखाव में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखों के रख–रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 150/2017–खण्ड–1–1896–1899 दिनाँक 16.3.18 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कांगड़ा जिला काँगड़ा, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत भंगवार, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881